

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 जनवरी 2014—माघ 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (01).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 54 में, उपनियम (1) में, खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(छह) वर्ष 2012-13 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट विलंब शुल्क के बिना 28 फरवरी 2014 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-29-2011-1-पांच(01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (01), दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 29th January 2014

No. F-A-3-29-2011-1-V (01).—WHEREAS, the State Government considers necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, should be made at once without previous publication in the “Madhya Pradesh Gazette”;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further Amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 54, in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely :—

- “(vi) the audit report pertaining to the year 2012-2013 can be furnished upto 28th February 2014 without a late fee.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.